

राजस्थान सरकार
कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अजमेर

Email: ccf.ajmr.forest@rajasthan.gov.in, ccf.ajmr.forest@gmail.com Tel no.: 0145-2426740

क्रमांक एफ 11(80 ना)एफसीए/मुवस/2023

दिनांक:-

वृक्षों के पातन एवं कार्य की अंतरिम स्वीकृति

जिला नागौर में प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/424482/2023 के लिए Diversion of 4.758 hectare forest land for Widening with Four lane with paved shoulder from Km.166.00 to 172.200 on Old NH-89 at Nagaur City in the State of Rajasthan on EPC Mode. के निर्माण हेतु 4.758 है. वनभूमि के प्रत्यावर्तन की शर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति 4 (चार) वृक्षों के पातन सहित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय गांधीनगर द्वारा दिनांक 13.07.2023 को जारी की गई थी। वन विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र दिनांक 07.01.2022 द्वारा लीनियर प्रोजेक्ट्स में भारत सरकार से जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में मुख्य वन संरक्षक को कार्यानुमति जारी करने के लिए अधिकृत किया है। उक्त स्वीकृति की पालना में उप वन संरक्षक, नागौर के पत्र क्रमांक 6530 दिनांक 18.10.2023 अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार की शर्तों एवं वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। साथ ही अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, एफसीए द्वारा उक्त पालना रिपोर्ट पत्रांक 7889 दिनांक 16.10.2023 द्वारा शासन सचिवालय में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दी है।

अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा लीनियर प्रोजेक्ट हेतु जारी दिशा-निर्देश क्रमांक 11-306/2014-एफसी दिनांक 28.08.2015 की अनुपालना में भारत सरकार द्वारा जारी उपरोक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की समस्त शर्तों के अधीन प्रस्तावित क्षेत्र में अधिकतम 4 (चार) वृक्षों के पातन एवं कार्य प्रारम्भ करने की अंतरिम स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

1. यह स्वीकृति जारी करने की तिथि से 1 वर्ष के लिए मान्य होगी।
2. सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर यह अंतरिम स्वीकृति प्रत्याहरित की जा सकती है एवं प्रयोक्ता अभिकरण के विरुद्ध वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत कार्यवाही अमल में लायी जा सकती है।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अंतरिम स्वीकृति अनुसार 1 वर्ष की अवधि में कार्य अपूर्ण रहने की स्थिति में समय रहते अभिवृद्धि हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सम्बन्धित उप वन संरक्षक के निर्देशानुसार/पर्यवेक्षण में कार्य किया जायेगा।

(एस.पी.सिंह)

मुख्य वन संरक्षक,
अजमेर

क्रमांक एफ 11(80 ना)एफसीए/मुवस/2023

4418-27

दिनांक:- 18/10/23

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक (एफसी डिवीजन), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, ईस्टर्न पर्यावरण भवन, जे.ए. रोड, नई दिल्ली-110001
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. आई.आर.ओ., भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय गांधीनगर

RajKaj Ref

4935536



Signature valid

Digitally signed by Sharda Pratap Singh
Designation : Chief Conservator Of
Forest
Date: 2023.10.18 17:02:04 IST
Reason: Approved

4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF), अरण्य भवन, जयपुर।
5. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य, जयपुर।
- ✓ 6. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (IT) जयपुर को दी जाकर निवेदन है कि इस स्वीकृति की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।
7. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफ.सी.ए., अरण्य भवन, जयपुर।
8. उप वन संरक्षक, नागौर को दी जाकर निर्देशित है कि भारत सरकार व इस आदेश द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तों की पालना सुनिश्चित करें।
9. अधिशाषी अभियन्ता, सानिवि राउमा खण्ड नागौर जिला नागौर।
10. रक्षित पत्रावली।

(एस.पी.सिंह)

मुख्य वन संरक्षक,
अजमेर।

Signature valid

RajKaj Ref
4935536

Digitally signed by Sharda Pratap Singh
Designation : Chief Conservator Of
Forest
Date: 2023.10.18 17:02:04 IST
Reason: Approved